



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मार्च, 2026 ई0 (फाल्गुन 16, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-10

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	135-139	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	57-63	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	107-112	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय विभाग

कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र

16 जुलाई, 2025 ई0

पत्रांक संख्या-432/xxxvi/न्याय विभाग/2025-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना सं0-4235/UHC/Admin.A-2/Annual-Transf./2025, दिनांकित 08 जुलाई, 2025 एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 के अर्धशासकीय पत्र सं0-587/XXX-1-2025 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी के पद पर आज दिनांक 16.07.2025 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अवमोचक अधिकारी,

मनीष कुमार पाण्डेय,

अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,

उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह0 (अस्पष्ट)

प्रमुख सचिव,

न्याय एवं विधि परामर्शी,

उत्तराखण्ड शासन।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-4

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

10 फरवरी, 2026 ई0

संख्या-179/XXXI(4)/2026-06(विधि)/2015-III-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री गणेश दत्त लेखक, अपर निजी सचिव वेतनमान रु. 47600-151100 पे-मैट्रिक्स लेवल-8 को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरान्त निजी सचिव के रिक्त प्रद पर वेतनमान रु. 56100-177500 पे-मैट्रिक्स लेवल-10 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति के फलस्वरूप निजी सचिव के पद पर 01 वर्ष की विहित परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3- उक्त पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-172/2025 तथा रिट संख्या-205 एम0बी0/2024 में मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
2. इसके अतिरिक्त यदि पुनर्गठन अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के मध्य कार्मिकों के आवंटन के फलस्वरूप कोई कार्मिक उत्तराखण्ड सचिवालय में योगदान प्रस्तुत करते हो, तो उक्त वरिष्ठता/ज्येष्ठता सूची संगत नियमों की अपेक्षानुसार परिवर्तनीय होगी।

4- उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
रणवीर सिंह चौहान,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग-1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

18 फरवरी, 2026 ई0

संख्या-132(a) E-20871 IRR I-01(440)स्था0 / 2012-सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) पे मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान 56100-177500) से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) पे मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान 67700-206700) के पद पर तालिका के कालम-3 में उल्लिखित अधिशासी अभियन्ताओं के सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	नाम	परिणामी रिक्ति
1	2	3
1-	श्री हरीश चन्द्र सती	श्री धनेन्द्र प्रसाद जोशी, अधिशासी अभियन्ता के दिनांक 31 मार्च, 2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष।
2-	श्री राजीव खनूलिया	श्री अरुण कुमार नेगी, अधिशासी अभियन्ता के दिनांक 30 अप्रैल, 2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष।
3-	श्री गोपाल सिंह बिष्ट	श्री रत्नाकर बेलवाल, अधिशासी अभियन्ता के दिनांक 30 अप्रैल, 2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष।
4-	श्री प्रभात रंजन	श्री दिनेश चन्द्र जूनियाल, अधिशासी अभियन्ता के दिनांक 30 अप्रैल, 2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष।
5-	श्री दीनदयाल सती	श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त, अधिशासी अभियन्ता के दिनांक 31 मई, 2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष।
6-	श्री धीरज डिमरी	श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता के दिनांक 30 जून, 2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष।
7-	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	श्री चन्द्र किशोर, अधिशासी अभियन्ता के दिनांक 30 जून, 2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष।
8-	श्री महेन्द्र सिंह मुख्नी	श्री हिमांशु कुमार, अधिशासी अभियन्ता के दिनांक 30 जून, 2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष।
9-	श्री हेम चन्द्र उपाध्याय	श्री विनोद कुमार, अधिशासी अभियन्ता के दिनांक 30 जून, 2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप घटित रिक्ति के सापेक्ष।

2- उक्त पदोन्नतियां मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-(S/B)No- 315 OF 2023, विजयपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण व अन्य तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण, नैनीताल में योजित निर्देश याचिका संख्या-20/NB/DB/2024 Harinandan Kapri & other Versus The State of Uttarakhand and others में मा0 अभिकरण द्वारा दिनांक 20.05.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित की जा रही रिट याचिका (शासन के पत्र सं0- I/364047 दिनांक: 29.01.2026 द्वारा प्रदत्त अनुमति) के अधीन रहेगी।

- 3- उक्त नवपदोन्नत अधिकारियों/अधिकासी अभियंताओं (सिविल) द्वारा वास्तविक रूप से पद रिक्त होने की तिथि को ही कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।
- 4- उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं को उनके वर्तमान कार्यस्थल पर ही पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना/तैनाती के आदेश स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं के अधीन परीक्षण कर पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
- 5- उक्त नवपदोन्नत अधिकारियों को अधिकासी अभियंता (सिविल) के पद पर एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

18 फरवरी, 2026 ई0

संख्या-132(b) E-20871 IRR I-01(440)स्था0 / 2012-सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पे मैट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान 56100-177500) पर कार्यरत निम्न सहायक अभियन्ता (सिविल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पे मैट्रिक्स लेवल-11 (67700-206700) में अधिकासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	श्री विजय पाल
2	श्री जगत नारायण सिंह
3	श्री धीरज जोशी
4	मो0 हामिद हसन

2- उक्त पदोन्नतियां मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-(S/B)No- 315 OF 2023, विजयपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण व अन्य तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण, नैनीताल में योजित निर्देश याचिका संख्या-20/NB/DB/2024 Harinandan Kapri & other Versus The State of Uttarakhand and others में मा0 अभिकरण द्वारा दिनांक 20.05.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित की जा रही रिट याचिका (शासन के पत्र सं0- 1/364047 दिनांक: 29.01.2026 द्वारा प्रदत्त अनुमति) के अधीन रहेगी।

3- उक्त पदोन्नत अधिकारी, अधिकासी अभियंता (सिविल) के पद पर एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

4- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना/तैनाती के आदेश स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं के अधीन परीक्षण कर पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
युगल किशोर पंत,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

अधिसूचना

17 फरवरी, 2026 ई0

संख्या-371536/XXVIII-2-2026/e-file. No.-12711/2022-अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-एफ.डी0ए0/01/रा0विश्लेषक/164/2019/2019 दिनांक 12.01.2026 में किये गये अनुरोध के क्रम में EXTRACT OF PARA 250 OF MANUAL OF GOVERNMENT ORDERS, 1981 के अध्याय-34 एवं शासनादेश संख्या-3497/III-500(5)-46 दिनांक 08.11.1946 में निहित प्रावधानों के आलोक में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभागान्तर्गत राजकीय विश्लेषक के पद पर कार्यरत श्री निशान्त त्यागी द्वारा श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, देहरादून से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री) की उपाधि प्राप्त किये जाने के उपरान्त उनके सेवा अभिलेखों में उनका नाम श्री निशान्त त्यागी के स्थान पर डा0 निशान्त त्यागी परिवर्तित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,
शिवेन्द्र नारायण सिंह,
संयुक्त सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मार्च, 2026 ई0 (फाल्गुन 16, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

OFFICE OF THE PERMANENT LOKADALAT, HARIDWAR

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on transfer)

June 28, 2025

No. 55/PLA/Haridwar--CERTIFIED that in compliance of notification No. 1193/III-B-2009-10/SLSA/2025 dated 18th June, 2025 of Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital, the undersigned has taken over the charge of office of the Chairman, Permanent Lok Adalat, Haridwar, in the afternoon of 19.06.2025.

DHARAM SINGH,

H.J.S.

Relieving Officer.

Countersigned,

illegible,

Member-Secretary,

Uttarakhand State Legal Services Authority,
Nainital.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALCHARGE CERTIFICATE

(Taking over)

July $\frac{14}{15}$, 2025

No. 4381/XIV-84/Admin.A/2003--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 14.07.2025 after availing Earned leave of 12 days w.e.f. 30.06.2025 to 11.07.2025 with permission to prefix 28.06.2025 & 29.06.2025 as holidays and suffix 12.07.2025 & 13.07.2025 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

SUJEET KUMAR,*Registrar,
U.H.C. Nainital.*

Countersigned,
illegible,
*Registrar General,
High Court of Uttarakhand.*

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITALNOTIFICATION

July 11, 2025

No. 224/UHC/Admin.A-2/2025--In partial modification of this Court's notification Nos. 155/UHC/Admin.A-2/2025 dated 08.07.2025, 157/UHC/Admin.A-2/2025 dated 08.07.2025, 159/UHC/Admin.A-2/2025 dated 08.07.2025, 160/UHC/Admin.A-2/2025 dated 08.07.2025 and 174/UHC/Admin.A-2/2025 dated 08.07.2025, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following changes in the annual transfer orders coming into force from 15.07.2025:

1. Ms. Jyoti Bala, Civil Judge (Sr. Div.), Haldwani, District Nainital, who was earlier transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal, vide notification No. 155/UHC/Admin.A-2/2025 dated 08.07.2025, is now transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar, vice Shri Sundeep Kumar, with effect from 15.07.2025.
2. Shri Shahazad Ahmad Wahid, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar, who was earlier transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Pauri Garhwal, vide notification No. 157/UHC/Admin.A-2/2025 dated 08.07.2025, is now posted as Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal, vice Shri Laxman Singh, with effect from 15.07.2025.

Note: Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is given additional charge of the office of Civil Judge (Sr. Div.), Pauri Garhwal, w.e.f. 15.07.2025 till further orders.

3. Ms. Chhavi Bansal, Chief Judicial Magistrate, Chamoli, who was earlier transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar, vide notification No. 159/UHC/Admin.A-2/2025 dated 08.07.2025, is now posted as 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar, vice Shri Shahzad Ahamad Wahid, with effect from 15.07.2025.
4. Ms. Vibha Yadav, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar, who was earlier posted as 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar, vide notification No. 160/UHC/Admin.A-2/2025 dated 08.07.2025, is again posted as 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar, with effect from 15.07.2025.
5. Ms. Durga, Civil Judge (Sr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, who was earlier transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar, vide notification No. 174/UHC/Admin.A-2/2025 dated 08.07.2025, is posted as 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar, in the vacant Court, with effect from 15.07.2025.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 19, 2025

No. 249/XIV/a-32/Admin.A/2021--Ms. Sneha Narang, the then 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haridwar now posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 29.04.2025 to 08.05.2025.

NOTIFICATION

July 19, 2025

No. 251/XIV-a-34/Admin.A-2/2023--Ms. Nancy Chhabra, 5th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 24.01.2025 to 09.02.2025.

NOTIFICATION

July 19, 2025

No. 252/XIV-a-28/Admin.A/2016--Ms. Meenakshi Sharma, Civil Judge (Jr. Div.), Purola, District Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 16.06.2025 to 25.06.2025 with permission to prefix 14.06.2025 & 15.06.2025 as second Saturday and Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITALNOTIFICATION

July 21, 2025

No.254/UHC/Admin.A-2/2025

Shri Ajay Dungrakoti, 2nd Additional District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun, shall continue to exercise the powers of Special Judge, N.D.P.S. Act, Rishikesh, Dehradun conferred upon him vide Notification No. 263(1)/XXXVI-A-1/2024-09 Bha. Sa./2001 dated 04.07.2024 issued by the State Government.

No.255/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Indu Sharma, 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar shall continue to exercise the additional charge of Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar, subject to earlier directions issued vide Notification No. 69/UHC/Admin.A-2/2025 dated 29.04.2025.

No.256/UHC/Admin.A-2/2025

The Chief Judicial Magistrate, Bageshwar is given additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar, till further orders.

No.257/UHC/Admin.A-2/2025

The Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is directed to hold Camp Court at Dhari, District Nainital for two days in a month, until Ms. Anubhuti Goel, Civil Judge (Jr. Div.), Dhari, District Nainital completes her foundation training.

No.258/UHC/Admin.A-2/2025

The Civil Judge (Jr. Div.), Karnprayag, District Chamoli is directed to hold Camp Court at Gairsain, District Chamoli for one week in a month, until Ms. Gunjan Shishodia, Civil Judge (Jr. Div.), Gairsain, District Chamoli completes her foundation training.

Note:

- (A) Recommendation is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital for assigning additional charge of the office of Chairman, Permanent Lok Adalat, Almora to the District Judge, Almora, till further orders.
- (B) Recommendation is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital for assigning additional charge of the office of Chairman, Permanent Lok Adalat, Pauri Garhwal to the District Judge, Pauri Garhwal, till further orders.
- (C) Recommendation of the name of Ms. Kahkasha Khan, Presiding Officer, Labour Court, Dehradun is being sent to the State Government for assigning her the additional charge of the office of Registrar, Uttarakhand Public Service Tribunal, Dehradun.
- (D) Recommendation of the name of Shri Harish Kumar Goel, District & Sessions Judge, Nainital is being sent to the State Government for conferring upon him the powers of Special Judge, Gangster Act, Nainital.
- (E) Recommendation of the name of Shri Vijayant Kumar, Presiding Officer, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Haldwani, District Nainital is being sent to the State Government for assigning him the additional charge of the office of Presiding Officer, Food Safety Appellate Tribunal, Haldwani, District Nainital.
- (F) Recommendation of the name of Shri Arvind Kumar, Additional Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs, Government of Uttarakhand, Dehradun is being sent to the State Government for assigning him the additional charge of the office of Secretary, Lokayukta, Uttarakhand, Dehradun.
- (G) Recommendation of the name of Ms. Neelam Ratra, 1st Additional District & Sessions Judge, Haridwar is being sent to the State Government for conferring upon her the powers of Special Judge, Gangster Act, Haridwar.
- (H) Recommendation of the name of Ms. Anjushree Juyal, 2nd Additional District & Sessions Judge, Haridwar is being sent to the State Government for conferring upon her the powers of Special Judge, N.D.P.S. Act, Haridwar.
- (I) Recommendation of the name of Ms. Pritu Sharma, Additional District Judge, Commercial Court, Dehradun is being sent to the State Government for assigning her the additional charge of the office of Secretary-cum-Registrar, State Police Complaint Authority, Dehradun.
- (J) Recommendation of the name of Shri Sujeet Kumar, 1st Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital is being sent to the State Government for conferring upon him the powers to try Banbhulpura case under "Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

- (K) Recommendation of the name of Shri Sanjeev Kumar, 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital is being sent to the State Government for conferring upon him the powers of Special Judge, N.D.P.S. Act, Nainital.
- (L) Recommendation of the name of Shri Madan Ram, 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is being sent to the State Government for conferring upon him the powers of Special Judge, Anti-Corruption (CBI), Dehradun.
- (M) Recommendation of the name of Shri Arun Vohra, 5th Additional District & Sessions Judge, Haridwar is being sent to the State Government for assigning him the additional charge of the office of 'Legal Advisor' to Uttarakhand Public Service Commission, Haridwar.
- (N) Recommendation of the name of Shri Rahul Kumar Srivastava, 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is being sent to the State Government for assigning him the additional charge of the office of Registrar, State Consumer Disputes Redressal Commission, Dehradun.

All above orders shall come into force after issuance of respective notifications from the State Government/Uttarakhand SLSA.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION

July 22, 2025

No. 259/UHC/Admin.A-2/2025--Vide Office-Order No. 315755/XXX(4)/2025-04(47)/2025 dated 22nd July, 2025 of Personnel & Vigilance Section-04, Government of Uttarakhand, Shri Kaushal Kishore Shukla, Presiding Officer, Labour Court, Haridwar has been posted as Legal Advisor to Hon'ble the Governor of Uttarakhand. The above stated Office-Order reads as under:

“महानिबन्धक मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के पत्र संख्या-4437/UHC/XIII-f-3/Admin.A/ 2009, दिनांक 16.07.2025 एवं सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-23047/GS/ EStt/C-199/2008, 14.07.2025 के क्रम में श्री कौशल किशोर शुक्ला, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरिद्वार को विधि सलाहकार (Legal Adviser), श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड के पद पर तैनात किया जाता है।

शैलेश बगौली
सचिव”

Sd/-
YOGESH KUMAR GUPTA,
Registrar General.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मार्च, 2026 ई0 (फाल्गुन 16, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

मैं उमेश चन्द्रा मेरे आर्मी नं0 2901007 EX HAV/ COOK में त्रुटिवश मेरी पत्नी का घरेलु नाम रजनी थपलियाल गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पत्नी का वास्तविक नाम प्रमोद थपलियाल (Pramod Thapliyal) है। जोकि मेरी पत्नी के आधार कार्ड नं0 203582261292 एवं पेन कार्ड नं0 AHRPT0610M में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पत्नी को प्रमोद थपलियाल (Pramod Thapliyal) पत्नी उमेश चन्द्रा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

उमेश चन्द्रा

निवासी—म0नं0 528/लेन नं0 05, विवेकानन्द
ग्राम, नत्थनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र फहद के हाईस्कूल वर्ष 2023-24 अनुक्रमांक 25127856 की मार्कशीट में त्रुटिवश मेरा नाम Nasir व मेरी पत्नी का नाम Mahraj गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम Nasir Ahmad व मेरी पत्नी का सही नाम Mehraj है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजी सं. 134 में भी दर्ज है भविष्य में हमें सही नामों से जाना-पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Nasir Ahmad S/o Abdul Hafiz
निवासी-188/6,7 लाल कुर्ती, रुड़की,
जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम SHAANVIDAS से बदलकर KRISHA DAS कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं. B-2023: 5-90069-003925 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को KRISHA DAS पुत्री SONALI RAWAT DAS के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SONALI RAWAT DAS W/O AMIT DAS
फ्लैट नं. फ 2, खसरा नं. 145, हरिद्वार सोलानी
विहार रुड़की उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 269404 व स्थाई निवास प्रमाणपत्र सं-1812/02 में मेरा नाम किशन राम दर्ज है एवं मेरे आधार कार्ड नं-457208323155 व पैन कार्ड नं AFYPT7947J में त्रुटिवश मेरा नाम किशन राम टम्टा गलत दर्ज हो गया है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपना नाम उक्त नामों को बदलकर किशन टम्टा कर लिया है जो मेरे पुत्र सार्थक के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र सं-UK22ES0100247427 व पुत्री लावण्या के स्थायी निवास प्रमाणपत्र सं0-K22E0100247421 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे किशन टम्टा पुत्र श्री पनी राम के नाम से जाना व पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

किशन टम्टा
ग्राम-नीबूगैर, पो. मटेला जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 211828488320 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम टीको देवी (TIKO DEVI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम विड्डो देवी (VIDDO DEVI) है। जोकि मेरे पति के पी०पी०ओ० सं. 02 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे विड्डो देवी (VIDDO DEVI) पत्नी स्व० धरम सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विड्डो देवी (VIDDO DEVI) पत्नी स्व० धरम सिंह
निवासी साहिया, ककाडी, ककरी, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0416056 में मेरा नाम पंकज पाण्डे व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 0238473 व अन्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम पंकज कुमार दर्ज है लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपना नाम उक्त नामों से बदलकर पंकज कुमार पाण्डे कर लिया है जो मेरे आधार कार्ड नं-237550128513 व पेन कार्ड नं-AXGPP1833M में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे पंकज कुमार पाण्डे पुत्र श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डे के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

पंकज कुमार पाण्डे पुत्र श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डे
नि. स्नो व्यू वार्ड स्टाफ हाउस कम्पाउंड मल्लीताल,
नैनीताल उत्तराखण्ड।

सूचना

शादी से पूर्व मेरा नाम KIRAN KUMARI D/o RANJIT KUMAR था। लेकिन शादी के उपरान्त मैंने अपना नाम किरन कुमारी (KIRAN KUMARI) से बदलकर किरन राना (KIRAN RANA) कर लिया है। जोकि मेरे पेन कार्ड नं० HJEPK4448C में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे KIRAN RANA W/O MAHENDER SINGH RANA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

KIRAN RANA W/O MAHENDER SINGH RANA
निवासी- हाउस नं०. 26, दिव्या विहार, डंडा धर्मपुर,
पो०- नेहरूग्राम, देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

शादी से पूर्व मेरा नाम Neha Jayswal D/o Kishori Lal था। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 0025276 में भी दर्ज है। लेकिन शादी के उपरान्त मैंने अपना नाम Neha Jayswal से बदलकर Neha Goyal कर लिया है। जो मेरे आधार कार्ड नं0 727357044638 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे Neha Goyal W/o Abhishek Goyal के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए। निवासी— 32/28, झंडा मोहल्ला देहरादून उत्तराखण्ड

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Neha Goyal W/o Abhishek Goyal

निवासी— 32/28, झंडा मोहल्ला देहरादून उत्तराखण्ड

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 638286165937 में उसका नाम स्वरा गुप्ता (Swara Gupta) दर्ज है, लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम स्वरा गुप्ता (Swara Gupta) से बदलकर वृन्दा गुप्ता (Vrinda Gupta) कर लिया है। जो पुत्री के जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण सं. B-2018: 5-90209-000817 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को वृन्दा गुप्ता (Vrinda Gupta D/o Shivam Gupta) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शिवम गुप्ता

निवासी म. न. 59/239 गली नं.—3,
हीरालाल मार्ग शांति नगर, ऋषिकेश,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 382870690227 में त्रुटिवश मेरा नाम संजना (SANJNA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरा नाम संचना (SANCHNA) है। जोकि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 23011433 एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या UK25ES0100402711 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे संचना (SANCHNA) पुत्री विनोद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

संचना (SANCHNA) पुत्री विनोद

निवासी—मोहमदपुर उर्फ, झींवरहेडी, पोस्ट—सुभाषगढ़,
जिला—हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 273935640255 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम आही गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अराध्या हैं जो उसके स्थाई निवास प्रमाण पत्र पंजी सं. UK25ES0100002733 व जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं. 4596 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को अराध्या पुत्री श्री अजीत सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए। निवासी-शिकारपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्री अजीत सिंह
निवासी-शिकारपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 2188 1192 4968 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम देवेन्द्र सिंह (DEVENDRA SINGH) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम महेंद्र सिंह (MAHENDRA SINGH) है। जोकि मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट जिसका अनुक्रमांक सं0 222884 में व मेरे स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिसकी प्रमाण-पत्र सं0 UK25ES0100473024 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे महेंद्र सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

महेंद्र सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह
नि0 ग्राम फलोटा, कोली डुंगरी, कोलादुन्ग्री
चमोली उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम प्रिंस (PRINCE) से बदलकर विनय कुमार (VINAY KUMAR) कर लिया है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 20171 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को विनय कुमार (VINAY KUMAR) पुत्र श्री पवन कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्री पवन कुमार
निवासी-336 गाँधी ग्राम निकट कल्याण आश्रम पटेल
नगर देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0-3969-8312-7502, में त्रुटिवश उसका नाम रुद्र भंडारी गलत दर्ज हो गया है जबकि उसका वास्तविक नाम रुद्रांश भण्डारी (RUDRANSH BHANDARI) है जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र नं0-बी-2019-5-90170-009687 में भी दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को रुद्रांश भण्डारी (RUDRANSH BHANDARI) पुत्र श्री विजय भण्डारी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये, निवासी वायु विहार, नकरोँदा, देहरादून, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड-248008।

समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विजय भण्डारी पुत्र श्री हरीश भण्डारी
निवासी वायु विहार, नकरोँदा, देहरादून,
जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम सतीश कुमार वर्मा से बदलकर राजकुमार कर लिया है। जो मेरे आधार कार्ड नं0 265396938364 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे राजकुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सतीश कुमार वर्मा (मौजूदा पुराना नाम)
पुत्र श्री धर्मपाल सिंह
निवासी शिव विहार गणेशपुर 956/2सी,
रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड